न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/67

1. समिति चमारान मेम्बर शोजी (मृतक) कायममुकामान –रंगलाल आयु 60 वर्ष आत्मज शोजी जाति चमार निवासी ग्राम पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामेश्वर बैरवा आत्मज रंगलाल निवासी पीपलवासा ।
   1/2. सीताराम बैरवा आत्मज रंगलाल निवासी पीपलवासा ।
   1/3. कमला बाई विधवा रंगलाल निवासी पीपलवासा ।
   1/4. लक्ष्मीबाई पुत्री रंगलाल निवासी पीपलवासा ।
2. सुवालाल आत्मज मोरपाल जाति चमार निवासी पीपलवासा ।
3. भैरूलाल आत्मज भूरा जाति चमार निवासी पीपलवासा ।
4. भंवर लाल आत्मज भगवान जाति चमार निवासी पीपलवासा ।
5. रामा वल्द भूरा जाति चमार निवासी पीपलवासा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. हजारी लाल आत्मज रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा ।
   5/2. गोपाल आत्मज रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा ।
   5/3. भूरी बाई विधवा रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा ।
   5/4. सोहनी पुत्री रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा ।
   5/5. मोहनी पुत्री रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा ।
   5/6. हंसा पुत्री रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा ।
6. मदन लाल आत्मज मोती जाति चमार निवासी पीपलवासा ।
7. कालू लाल आत्मज बरधा कौम चमार निवासी पीपलवासा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सुवालाल वल्द लालू कौम चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली ।
3. मथरी पुत्री लालू कौम चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली ।
4. सुरजा पुत्री लालू कौम चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली ।
5. नुवासा पुत्री लालू कौम चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली ।
6. जनका बाई पुत्री लालू कौम चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी अपीलान्ट समिति चमारान को ग्राम पीपलवासा की आराजी कुल किता 153 रकबा 523.11 बीघा भूमि सेटलमेंट से पूर्व आवंटित की गई थी ।

3. आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करने तथा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना मानते हुए प्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक — 14.10.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 एवं अन्य मेम्बर चमारान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर अप्रार्थीगण की तलबी होनी थी उसके बाद उनका जवाब लेकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण की तलबी हुए बिना ही उक्त प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित कर दिया । पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है । उक्त भूमियों पर आवंटियों का आवंटन के दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्टगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय में कहा गया कि आपका कोई राजीनामा नहीं हुआ है । बाद में न्यायालय में आकर तारीख पेशी ले लेना बाद में न्यायालय में जाकर पेशी पता की लेकिन कोई पता नहीं चला । दिनांक 23.12.2015 को जाकर पता किया तो उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह

अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार कर आराजी को सिवायचक दर्ज किया है । यह निर्णय विधि–विरूद्ध है । अप्रार्थी की तलबी के पश्चात् उनसे जवाब लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । पत्रावली तलबी में लम्बित थी कई लोगों की तलबी होना शेष था । पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है । अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा है । समिति चामारान ग्राम पीपलवासा में मौजूद है । आवंटियों ने किसी भी आवंटन शर्त का उल्लंघन नहीं किया है । आराजी अपीलान्टगण की आय का जरिया है । इस आय से समिति के माध्यम से कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं । विधिक प्रक्रिया का पालना किये बिना आदेश पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार के द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र के अनुसार इस नाम की कोई समिति ग्राम में मौजूद नहीं है । आराजी पर आवंटियों का कब्जा भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटन खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, हिण्डोली के द्वारा यह कथन करते हुए पेश किया गया था कि समिति चमारान को ग्राम पीपलवासा की कुल 153 किता की 523 बीघा 11 बिस्वा आराजी आवंटित की गई थी । आराजी पर आवंटियों का कब्जा नहीं है भूमि की किश्त मय ब्याज के जमा नहीं करवायी है । आवंटन की शर्तो का उल्लंधन किया गया है । अतः आवंटन नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 की पालना में आवंटन निरस्त किया जावे । इस प्रार्थना

पत्र के साथ तहसीलदार, हिण्डोली की एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें समिति बजूद में नहीं होने का कथन किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 की पेश की गई है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी समिति चमारान मेम्बर शोजी एवं अन्य के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है ।

12. पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है जिसमें यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी समिति चमारान के गैर खातेदारी में दर्ज है जिसमें मेम्बरान के आलावा ग्राम के अन्य व्यक्ति काश्त कर रहे हैं । भूमि पर गॉव की आबादी, स्कूल, रास्ते, तलाई एंव अन्य लोगों के कब्जे हैं तथा ग्राम में इस नाम की कोई समिति मौजूद नहीं है । पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2028–47 भी संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी समिति चमारान के गैर खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनाक 14.10.2015 के अनुसार पैरोकार सरकार की उपस्थिति और अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । तहसीलदार के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवंटन किन नियमों के तहत और कौनसी तिथि को किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन की पत्रावली को भी तलब नहीं किया है, आवंटियों के खिलाफ कितनी राशि मय ब्याज जमा होना शेष है यह भी प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है । अपीलान्टगण ने अपील में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है । हम इस प्रकारण में अपीलान्ट को न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । आधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए, आवंटन की पत्रावली तलब कर पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा